कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून

वैभव पैलेस, सी-1/105, इन्दिरा नगर, देहरादून-248006

स0 : स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या-102/2015-16/

दिनांक : /06/2016

सेवा में,

खण्ड विकास अधिकारी,

क्षेत्र पंचायत, गंगोलीहाट

जिला- पिथौरागढ़

विषय : क्षेत्र पंचायत गंगोलीहाट का वर्ष 2012-13 से वर्ष 2014-15 तक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

महोदय,

आपके कार्यालय का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रेषित कर यह अवगत कराना है कि प्रतिवेदन के भाग -4 (ब)-1 में **शून्य** प्रस्तर, भाग-4 (ब)-2 में **चार** प्रस्तर तथा STAN मे शून्य प्रस्तर है। इन प्रस्तरों को भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण प्रतिवेदन (Annual Technical Inspection Report) (ATIR) में सम्मिलित किया जाना सम्भावित है। भाग-4 (ब)-2 के सभी प्रस्तरों की प्रतिपालन आख्या अपने उच्चतर अधिकारी के माध्यम से भेजा जाना अनिवार्य है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार प्रतिवेदन की प्रथम प्रतिपालन आख्या इनकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर संलग्न प्रारूप में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : 1 प्रतिवेदन की प्रति

2. प्रतिपालन आख्या का प्रारूप

भवदीय

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

सं0 स्था0नि0/प्रतिवेदन संख्या 102/2015-16/ दिनांक: /06/2016

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- सचिव, पंचायती राज उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।

2- निदेशक, पंचायती राज निदेशालय उत्तराखण्ड, सहस्त्रधारा मार्ग, आई0टी0पार्क के पास, देहरादून।

3- निदेशक, लेखापरीक्षा (आडिट) निदेशालय, द्वितीय-तल, आयुक्त कर भवन, जोगीवाला, मसूरी बाईपास, रिंग रोड, देहरादून, पिन कोडः 248005

4 -जिला पंचायतराज अधिकारी, पिथौरागढ़

वरि. लेखापरीक्षा अधिकारी/स्थानीय निकाय

कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून

भाग-एक

वर्ष 2015-16 के लिये क्षेत्र पंचायत गंगोलीहाट (पिथौरागढ़) पर निरीक्षण प्रतिवेदन

(अ) संप्रेक्षावधि मे कार्यरत पंचायतराज अध्यक्ष तथा कार्यकारी अधिकारी का नाम तथा पदनाम

श्री सन्तोष पन्त - खण्ड़ विकास अधिकारी

(ब) संप्रेक्षा सदस्यों के नाम तथा पदनाम

(i) श्री अशोक कुमार व.ले.प.अ.

(ii) श्री विशाल कुमार गुप्त, स.ले.प.अ.

(iii) श्री आशीष मालवीय., स.ले.प.अ.

(स) संप्रेक्षा तिथि 29.02.2016 से 08.03.2016 तक

(द) संप्रेक्षा में आच्छादित अवधि: 2012-13 से 2014-15 तक

भाग-दो

परिचयात्मक :

1. पंचायतीराज संस्था का नाम : **ख.वि.अ. क्षे.पं. गंगोलीहाट,** जनपद **पिथौरागढ़**

(अ) उपरोक्त यदि क्षेत्र पंचायत है तो:-

(ब) उपरोक्त यदि क्षेत्र पंचायत है तो ग्राम पंचायतों की संख्याः- 117

भौगोलिक क्षेत्र :-- 38937 हेक्टेयर

जनसंख्या : 70387

2- निर्वाचित सदस्यों की संख्या : 40

3- पंचायत द्वारा आयोजित बैठकों की संख्याः 04 प्रतिवर्ष

4- (ब) उपसमितियों, स्थायी समितियों की संख्या तथा प्रत्येक आयोजित बैठक की संख्या:- 06 बैठक:

5- कर्मचारियों की संख्या : 17

6- पंचायतराज की सम्पत्तियां : - 1 कार्यालय भवन, 1 आवासीय भवन

7- पंचायतराज के अपने प्रोजेक्ट : -

8- योजनाओं की संख्या :-

9- (अ) सामाजिक संरक्षा

(ब) रोजगार सृजन से सम्बन्धित: -

(स) वर्ष के दौरान पूर्ण की गयी योजनायें:-

(द) लाभार्थियों की संख्या:

10- वर्ष के दौरान कर, रेट्स ड्यूटी चुंगी आदि की वसूली तथा बकाया राशि :

11- वर्ष के दौरान कुल व्यय :

(अ) सामान्यः - ` 6,59,88,035

(ब) योजनाओं पर (प्रत्येक योजना का अलग-अलग दर्शाया जाये) एवं संलग्नक के रूप में लगाया जाये।

12- क्या वार्षिक योजनाओं एवं बजट पर निर्वाचित निकाय द्वारा चर्चा की गयी तथा उसे पारित किया गया है- नहीं

भाग-4 (अ)

(क) परिचयात्मकः- कार्यालय **ख.वि.अ., क्षेत्र पंचायत गंगोलीहाट, जनपद- पिथौरागढ़** के लेखा/अभिलेखों की वर्ष 2012-13 से 2014-15 तक की सम्प्रेक्षा श्री अशोक कुमार, व.ले.प.अ. के आंशिक पर्यवेक्षण मे श्री विशाल कुमार गुप्त, स.ले.प.अ. एवं श्री आशीष मालवीय, व.ले.प. द्वारा दिनांक 29.02.2016 से 08.03.2016 तक सम्पादित की गयी।

(ख) विगत प्रतिवेदनों के बकाया प्रस्तरों की स्थितिः-

शून्य

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0	**प्रस्तर**	**प्रस्तर**
(i) महालेखाकार कार्यालय के लम्बित प्रस्तर	**भाग 4 (ब)-1**	**भाग 4 (ब)-2**

शून्य

प्रतिवेदन संख्या वर्ष	**भाग**
	प्रस्तरों की संख्या

(ii) स्थानीय निधि लेखापरीक्षा के लम्बित प्रस्तर --

(ग) सतत अनियमितताओं की सूची -- शून्य

(घ) अप्रस्तुत अभिलेख -

भाग 4(ब)-2

प्रस्तर 1:- योजनाओं में पार्पत अनुदान से अर्जित ब्याज की धनराशि ` 60.736 को राजकोष में जमा न किया जाना।

प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-347/वि.आ.नि.दे. (तृ.रा.वि.आ.)/2013 दिनांक 17.01.2013 के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं से प्राप्त धनराशि (जैसे राज्य वित्त आयोग केन्द्रीय वित्त आयोग, क्षेत्र विकास निधि, सांसद निधि, विधायक निधि, पी.एम.जी.एस.वाई., मनरेगा इत्यादि) एवं उस पर प्राप्त ब्याज की धनराशि को राजकोष में जमा करवाने हेतु निर्देश दिये गये थे।

ग्राम पंचायत, खैनोली की रोकड़-बही एवं बैंक पास बुक की जाँच में पाया गया कि वितीय वर्ष के अन्त तक प्राप्त कुल ब्याज की धनराशि ` 60,726 को राजकोष में जमा नहीं किया गया था लेखा परीक्ष द्वारा पूछे जाने पर इकाई द्वारा बताया गया की ब्याज में प्राप्त धनराशि को राजकोष में जमा कर दिया जायेगा।

अतः ब्याज की धनराशि को राजकोष में जमा न करने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

<u>अनुभाग-4-(स)</u>

सामान्य एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततांए जिनका समाधान कार्यस्थल पर नहीं हो सका उन्हें निरीक्षण टिप्पणी में सम्मिलित कर लिया गया है जिसकी प्रति **खंड विकास अधिकारी, क्षे. प. बैरीनाग** को इस आशय से प्रेषित की गयी है कि इसकी अनुपालन आख्या प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरि. उपमहालेखाकार/स्थानीय निकाय, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून को भेजना सुनिश्चित करें।

व.लेखापरीक्षा अधिकारी/ स्थानीय निकाय